न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 228/2025
जीसीएमएस नं. 2025/479
प्रार्थी/निगरानीकारः–
मुकन सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री तखत सिंह राजपुरोहित जाति राजपुरोहित निवासी खाराबेरा पुरोहितान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
अप्रार्थी/गैर निगरानीकारः–

1. ग्राम पंचायत खारा बेरा पुरोहितान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर जरिये सरपंच।
2. महेंद्र सिंह पुत्र श्री तख्त सिंह राजपुरोहित जाति राजपुरोहित निवासी खाराबेरा पुरोहितान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध मिसल सं. 132/2012–13 में पट्टा दिनांक 15.02.2013 को ग्राम पंचायत खाराबेरा पुरोहितान द्वारा जारी किया गया, को निरस्त करने बाबत।

पंचायत निगरानी सं. 229/2025
जीसीएमएस नं. 2025/480
प्रार्थी/निगरानीकारः–
महेन्द्र सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री तखत सिंह राजपुरोहित जाति राजपुरोहित निवासी खाराबेरा पुरोहितान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
अप्रार्थी/गैर निगरानीकारः–

1. ग्राम पंचायत खारा बेरा पुरोहितान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर जरिये सरपंच।
2. गीता पत्नी श्री तख्त सिंह राजपुरोहित जाति राजपुरोहित निवासी खाराबेरा पुरोहितान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध मिसल सं. 131/2012–13 में पट्टा दिनांक 15.02.2013 को ग्राम पंचायत खाराबेरा पुरोहितान द्वारा जारी किया गया, को निरस्त करने बाबत।

पंचायत निगरानी सं. 230/2025
जीसीएमएस नं. 2025/481
प्रार्थी/निगरानीकारः–
महेन्द्र सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री तखत सिंह राजपुरोहित जाति राजपुरोहित निवासी खाराबेरा पुरोहितान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
अप्रार्थी/गैर निगरानीकारः–

1. ग्राम पंचायत खारा बेरा पुरोहितान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर जरिये सरपंच।
2. मुकेश सिंह पुत्र श्री तख्त सिंह राजपुरोहित जाति राजपुरोहित निवासी खाराबेरा पुरोहितान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

पंचायत निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध मिसल सं. 133/2012–13 में पट्टा दिनांक 15.02.2013 को ग्राम पंचायत खाराबेरा पुरोहितान द्वारा जारी किया गया, को निरस्त करने बाबत।

पंचायत निगरानी सं. 231/2025

जीसीएमएस नं. 2025/482

प्रार्थी/निगरानीकारः–

महेन्द्र सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री तखत सिंह राजपुरोहित जाति राजपुरोहित निवासी खाराबेरा पुरोहितान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

अप्रार्थी/गैर निगरानीकारः–

1. ग्राम पंचायत खारा बेरा पुरोहितान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर जरिये सरपंच।
2. तख्त सिंह पुत्र श्री शिवलाल राजपुरोहित जाति राजपुरोहित निवासी खाराबेरा पुरोहितान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध मिसल सं. 130/2012–13 में पट्टा दिनांक 15.02.2013 को ग्राम पंचायत खाराबेरा पुरोहितान द्वारा जारी किया गया, को निरस्त करने बाबत।

उपस्थितिः–

1. अधिवक्ता श्री प्रहलाद सिंह (प्रार्थीगण की ओर से)
2. अधिवक्ता श्री करण सिंह (अप्रार्थीगण सं. 02 की ओर से)

<u>निर्णय</u> दिनांक 30.01.2026

1. उपरोक्त विवरण की चारों निगरानियां राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत ग्राम पंचायत खारा पुरोहितान, पं.स. लूणी द्वारा जारी आवासीय पट्टे दिनांक 15.02.2013 को अपास्त करने हेतु इस न्यायालय में दिनांक 08.12.2025 को पेश की गई है। उक्त चारों निगरानियों की विषयवस्तु समान है तथा चारों में समान विधिक एवं विवाद बिंदु अंतर्वलित होने से, उभयपक्ष की सहमति से एक ही निर्णय से निस्तारित किया जाना न्यायोचित है। अतएव इन्हे कन्सोलिडेट करके एक ही निर्णय से निर्णित किया जा रहा है। निर्णय की मूल प्रति प्रत्येक प्रकरण की पत्रावली में शामिल की जावे।
2. अपील मीमों में अंकित अभिवचनों अनुसार–

   i) <u>निगरानी सं. 228/2025</u>:–ग्राम पंचायत खाराबेरा पुरोहितान द्वारा मिसल सं. 132/2012–13, दायर दिनांक 20.06.2012 में पट्टा बुक सं. 4 में से पट्टा सं.

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

32 दिनांक 15.02.2013, संकल्प सं. 02 दिनांक 10.01.2013 बहक महेन्द्र सिंह पुत्र तख्त सिंह बनाप 276.013 वर्गगज प्रारूप 23क को अपास्त करने हेतु पेश की है।

ii) **निगरानी सं. 229/2025**:—ग्राम पंचायत खाराबेरा पुरोहितान द्वारा मिसल सं. 131/2012—13, दायर दिनांक 20.06.2012 में पट्टा बुक सं. 4 में से पट्टा सं. 31 दिनांक 15.02.2013, संकल्प सं. 02 दिनांक 10.01.2013 बहक गीता पत्नी तख्त सिंह बनाप 229.930 वर्गगज प्रारूप 23क को अपास्त करने हेतु पेश की है।

iii) **निगरानी सं. 230/2025**:—ग्राम पंचायत खाराबेरा पुरोहितान द्वारा मिसल सं. 133/2012—13, दायर दिनांक 20.06.2012 में पट्टा बुक सं. 4 में से पट्टा सं. 33 दिनांक 15.02.2013, संकल्प सं. 02 दिनांक 10.01.2013 बहक मुकेश सिंह पुत्र तख्त सिंह बनाप 276.013 वर्गगज प्रारूप 23क को अपास्त करने हेतु पेश की है।

iv) **निगरानी सं. 231/2025**:—ग्राम पंचायत खाराबेरा पुरोहितान द्वारा मिसल सं. 130/2012—13, दायर दिनांक 20.06.2012 में पट्टा बुक सं. 4 में से पट्टा सं. 30 दिनांक 15.02.2013, संकल्प सं. 02 दिनांक 10.01.2013 बहक तख्त सिंह पुत्र शिवलाल राजपुरोहित बनाप 289.930 वर्गगज प्रारूप 23क को अपास्त करने हेतु पेश की है।

3. उक्त चारों पट्टे एक ही परिवार के सदस्यों से संबंधित है, जो तखत सिह, तखत सिंह की पत्नी गीता व तखत सिंह के पुत्र महेन्द्र सिंह व मुकेश सिंह के नाम जारी किये गये है। निगरानी सं. 229/2025, 230/2025, 231/2025 को पट्टाधारी महेन्द्र सिंह द्वारा पेश की गई है तथा निगरानी सं. 228/2025 मुकन सिंह द्वारा पेश की गई है। इस प्रकार क्रोस निगरानिया प्रस्तुत की गई है।

4. निगरानी मीमों में अंकित अभिवचनों के अनुसार, आक्षेपित पट्टा निगरानीकर्ता के कब्जा सुदा भूखण्ड के मौके व नाप के अनुसार नहीं जारी किया गया है तथा पट्टा मौके के कब्जा अनुसार नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा आक्षेपित पट्टा मनमाना है। ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करते समय निगरानीकर्ता को अवगत नहीं कराया है। निगरानीकर्ता को पट्टा सुपुर्द नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत के निर्णय के बिना ही बाले—बाले पट्टा जारी किया है। पट्टा जारी करते समय नियमों की पालना नहीं की है। पट्टे में मौके से ज्यादा नाप अंकित किया है। ग्राम पंचायत में पट्टे का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। मिसल व राशि जमा होने का दस्तावेज भी पंचायत में नहीं है। अतः जारी पट्टा फर्जी, कूटरचित व जाली दस्तावेज है। मिसल को पंचायत बैठक में नहीं रखा गया है। नियम 148 के तहत जो इश्तिहार जारी किया है, उसमें मिसल सं. व भूमि की स्थिति स्पष्ट

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

नहीं की गई है। नियम 157(1) की शर्तों की पालना नहीं की गई है। आक्षेपित पट्टो की भूमि बेशकीमती है, फिर भी ग्राम पंचायत ने नियम 157(1) के तहत नियमन किया है, जो पूर्णतः विधि विरूद्ध है।

पट्टे में राशि अंकित नहीं की गई है। राशि के कॉलम को रिक्त छोडा गया है। अतः निगरानी स्वीकार की जावे तथा आक्षेपित पट्टा निरस्त किया जावे। मौके व नाप अनुसार निगरानीकर्ता के नाम से विधि अनुसार पुनः पट्टे जारी करने का आदेश फरमावे।

इस प्रकार महेन्द्र सिंह ने 3 पट्टें तथा मुकन सिंह ने महेन्द्र सिंह का पट्टा निरस्त करने हेतु निगरानियां पेश की है, जो स्वयं पट्टा धारी है।

5. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। ग्राम पंचायत से मूल अभिलेख तलब किया गयां अप्रार्थीगण की ओर से श्री करण सिंह, अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया।
6. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की निगरानियों पर बहस सुनी गई।
7. निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रहलाद सिंह ने निगरानी मीमों में अंकित अभिकथनों को दोहराते हुए कथन किया कि चारों निगरानियों में पट्टाधारकों ने ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने हेतु कोई आवेदन पेश नहीं किया है तथा न ही शपथ पत्र दिया है। ग्राम पंचायत ने अपने स्तर से ही पट्टे जारी कर दिये है, जिसमें मौके के अनुसार नाप में व कब्जे की स्थिति के पडौस भिन्न है। इस प्रकार गलत पट्टे जारी किये है। ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड से उक्त स्थिति स्पष्ट है। कानूनी प्रकिया का पालन नहीं किया है। अतः निगरानियां स्वीकार कर आक्षेपित पट्टे निरस्त किये जावे।
8. अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री करण सिंह ने निगरानीकार के कथनों को स्वीकार किया तथा तर्को से सहमति व्यक्त की तथा कथन किया कि हस्तगत चारों निगरानियां यथावत स्वीकार की जाती है, तो अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है। वास्तव में पट्टों के पडौस भिन्न है तथा निगरानी में वर्णित तथ्य सही होने से, अप्रार्थीगण को स्वीकार है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया है कि उन्होने अपने मुवक्किल से उपरोक्तानुसार स्वीकारोक्ति की अनुमति व सहमति प्राप्त कर ली है। विद्वान अधिवक्ता ने अपनी उपरोक्तानुसार स्वीकारोक्ति की पुष्टि में प्रत्येक पत्रावली का आदेशिका पर "नो–ऑब्जेक्शन" अपनी लेखनी से अंकित कर हस्ताक्षर दिनांक 28.01.2026 को किये है।
9. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख, ग्राम पंचायत से प्राप्त पट्टा बही में उपलब्ध आक्षेपित पट्टा की प्रति, संबंधित पट्टे की मूल मिसल में उपलब्ध अभिलेख, ग्राम

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

पंचायत के बैठक रजिस्टर का गहनता से अध्ययन कर, उसका अवलोकन किया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत कथनों एवं तर्कों पर मनन किया। संबंधित विधि प्रावधानों का अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

10. (a)मिसल सं. 130, 131, 132, 133/2012–13 में पट्टाधारक द्वारा पट्टा जारी करने बाबत उपलब्ध प्रार्थना पत्र पर आवेदक के हस्ताक्षर ही नहीं है तथा न ही तिथि का अंकन है। भूखण्ड के नक्शें पर भी आवेदक/पट्टाधारी के हस्ताक्षर नहीं है। तीन पंचों की कमेटी द्वारा तैयार मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर भी आवेदक/पट्टाधारी के हस्ताक्षर नहीं है। इस रिपोर्ट में 40 वर्षों का पुराना कब्जा बताया है परंतु निर्मित मकान/भवन का कोई तथ्य अंकित ही नहीं है। 1996 के नियम 157(1) के तहत खाली भूखण्ड का नियमितीकरण नहीं किया जा सकता। पत्रावली में उपलब्ध शपथ पत्र किसके द्वारा दिया गया है, शपथकर्ता का नाम/पता के कॉलम ही खाली है तथा शपथकर्ता के हस्ताक्षर ही नहीं है, फिर भी सरपंच ने उस पर हस्ताक्षर किये है, जो विधि विरूद्ध होने से मान्य नहीं है। आवेदक/पट्टाधारक की ओर से तस्दीकसुदा शपथ पत्र पेश नहीं किया है।

(b)पट्टा बुक सं. 4 में उपलब्ध पट्टा सं. 30, 31, 32 व 33 दिनांक 15.02.2013 पर सिर्फ सरपंच, ग्राम पंचायत खाराबेरा पुरोहितान के हस्ताक्षर है परंतु सचिव व ग्राम सेवक के हस्ताक्षर इन पट्टों पर नहीं है, जो राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 167(2) का स्पष्ट उल्लंघन है। इसी प्रकार उक्त पट्टों की कार्यालय प्रति पर पट्टाधारक तखतसिंह, महेन्द्र सिंह, मुकेश सिंह व गीता के हस्ताक्षर भी नहीं है तथा न ही गवाहों के हस्ताक्षर है, जो गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आती है।

(c)एक ही परिवार के चार सदस्यों के नाम खाली भूखण्ड का 1070 वर्गगज के पट्टे मात्र 200 रूपयें प्रति पट्टा वसूल करके नियमन किया है, जो विधि प्रावधानों के विपरीत है। नियम 157(1) में सिर्फ 50 वर्षों से अधिक पुराने निर्मित मकानों वाली भूमि का ही 300 वर्गगज की सीमा तक नियमितीकरण किया जा सकता है। 300 वर्गगज से अधिक भूमि के लिए डी.एल.सी. दर की निर्धारित राशि वसूल की जानी चाहिए। इस प्रकार ग्राम पंचायत ने सरकारी संपति को अपने स्तर से ही, बिना किसी प्रकार के दावा के ही, हस्तांतरण करने में गंभीर अनियमितता की है तथा ऐसे अवैध पट्टों को धारा 97 के प्रावधानों के तहत अपास्त करने हेतु राज्य सरकार सक्षम है। चौंकाने वाला तथ्य यह है कि ये निगरानियां पट्टाधारक स्वयं द्वारा 13 वर्ष की लंबी अवधि व्यतीत होने के बाद पेश की है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

11. उपरोक्त तथ्यात्मक एवं अभिलेखीय विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि ग्राम पंचायत ने खाली भूखण्डों के पट्टे बिना किसी व्यक्ति द्वारा पट्टा हेतु आवेदन किये अपने स्तर से नियम 157(1) के तहत नियमितीकरण प्रावधान के जारी किये है तथा नियम 157(1) की शर्तें पूर्ण किये बिना ही अपने स्तर से ग्राम पंचायत ने पट्टे जारी किये है, जो गलत है तथा विधि प्रावधानों के विपरीत जारी होने के कारण निरस्त करने योग्य है। निगरानीकर्ता ने अभिकथन किया है कि भूखण्ड रिक्त है। बेशकीमती भूमि का गलत रूप से नियमन किया है, जो नियम 157(1) के प्रावधानों के विपरीत है। मौके पर वास्तविक नाप व पडौसों के विपरीत पट्टे जारी किये है, जिन्हे निरस्त किया जावे। निगरानीकार के समस्त आरोपों को, रेस्पोंडेंट्स ने स्वीकार किया है तथा निगरानियां स्वीकार करने में एवं आक्षेपित पट्टों को निरस्त करने में अप्रार्थीगण ने सहमति दी है। इस प्रकार, इस न्यायालय द्वारा अभिलेखीय विवेचन एवं अप्रार्थीगण की सहमति के परिप्रेक्ष्य में, विचाराधीन चारों निगरानियां स्वीकार योग्य है तथा आक्षेपित पट्टे अपास्त योग्य है।

आदेश

12. परिणामस्वरूप उक्त चारों निगरानियां स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत खाराबेरा पुरोहितान द्वारा—

A. मिसल सं. 132/2012–13 में जारी पट्टा बुक सं. 4 में से जारी पट्टा सं. 32 दिनांक 15.02.2013 बहक महेन्द्र सिंह को अपास्त किया जाता है।

B. मिसल सं. 131/2012–13 में जारी पट्टा बुक सं. 4 में से जारी पट्टा सं. 31 दिनांक 15.02.2013 बहक गीता को अपास्त किया जाता है।

C. मिसल सं. 133/2012–13 में जारी पट्टा बुक सं. 4 में से जारी पट्टा सं. 33 दिनांक 15.02.2013 बहक मुकेश सिंह को अपास्त किया जाता है।

D. मिसल सं. 130/2012–13 में जारी पट्टा बुक सं. 4 में से जारी पट्टा सं. 30 दिनांक 15.02.2013 बहक तख्त सिंह को अपास्त किया जाता है।

E. उक्त पट्टों की सीमा तक ग्राम पंचायत खाराबेरा पुरोहितान द्वारा पारित संकल्प सं. 2 दिनांक 10.01.2013, 20.06.2012, 05.08.2012, 25.09.2012, 10.11.2012, 25.12.2012 को अपास्त किया जाता है।

13. निगरानीकार महेन्द्र सिंह ने दिनांक 25.01.2026 को उक्त विवरण के चारों पट्टों का गुम हो जाना बताकर राजस्थान पुलिस में एल.आर. नं. 3032878/2026 से गुमसुदगी (Property Document (4) Lease deed) की रिपोर्ट दर्ज करायी है। अतः मूल पट्टों के दुरूपयोग को रोकने के लिए, उक्त चारों पट्टों की एक प्रति जो पंचायत

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

समिति में भेजी जाती है, उस पर, इस आदेश का तथा गुमसुदगी का लाल स्याही से नोट लगाना आवश्यक है।

14. निर्णय की प्रति विकास अधिकारी, पंचायत समिति, लूणी को उक्त बिंदु 13 में अंकित निर्देशानुसार कार्यवाही हेतु भेजी जाकर निर्देश दिये जाते है कि निर्देश की पालना कर 15 दिन में आवश्यक रूप से पालना रिपोर्ट पेश करे।

15. निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख ग्राम पंचायत खाराबेरा पुरोहितान को लौटाया जावे। ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत खारा बेरा पुरोहितान को आदेशित किया जाता है कि उक्त निरस्त किये गये पट्टों की कार्यालय प्रति पर, इस निरस्तीकरण आदेश का लाल स्याही से अंकन कर पृष्ठांकन अपने हस्ताक्षरों से प्रमाणित करे।

16. निगरानीकर्ताओं ने आक्षेपित पट्टों की भूमि को 1996 के नियम 157(1) के तहत नियमितीकरण योग्य नहीं माना है तथा मौके पर भूखण्ड खाली होना तथा बेशकीमती बताया है। अतः ग्राम पंचायत खाराबेरा पुरोहितान को सुझाव दिया जाता है कि इस निर्णय के द्वारा आक्षेपित पट्टों को निरस्त करने के परिणामस्वरूप, उपलब्ध रिक्त 1070 वर्गगज भूमि का नियमानुसार विक्रय करने की कार्यवाही करे, ताकि ग्राम पंचायत को विकास कार्यों के लिए धनराशि उपलब्ध हो सके।

17. प्रकरणों में लंबित अन्य समस्त प्रार्थना पत्र (यदि कोई हो तो) एतदद्वारा निस्तारित किये जाते है।

18. पत्रावली बाद तामिल व तक्मील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर

(जवाहर चौधरी)
अति. जिला कलक्टर (प्रथम),
जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 30.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अति. जिला कलक्टर (प्रथम),
जोधपुर